फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

नारायणलाल पिता पेमा खटीक निवासी उमण्ड तहसील कपासन

बनाम

शम्भूलाल पिता जीतू नाई निवासी उमण्ड तहसील कपासन वगैरा

कार्यवाही :– निगरानी को पुनः नम्बर पर ली जाकर गुणावगुण पर निर्णित करने बाबत।

प्रकरण संख्या 01/2012 (विविध)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त उनवान की एक निगरानी न्यायालय आप में विचाराधीन होकर जवाब हेतु जैरकार थी जिसमें विपक्षी की तरफ से एक आवेदन कार्यवाही ड्रॉप किए जाने हेतु इस आशय का पेश किया कि उक्त भूखण्ड के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में कार्यवाही लम्बित है जिससे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय हो जाने के उपरान्त ही उक्त निगरानी में कार्यवाही किया जाना उचित होगा तब तक न्यायालय आप मे कार्यवाही स्थगित रखी जावे। जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 06.11.2009 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत दोनो पक्ष कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होंगे इस आशय का आदेश पारित किया। वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल रिट पीटीशन नम्बर 866/09 नारायण बनाम रामलाल में दिनांक 19.08.2010 को निर्णय पारित होकर निगराकार की ओर से प्रस्तुत रिट खारिज हो चुकी है। अतः आपके न्यायालय के निगरानी प्र. सं. 18/2008 निर्णय दिनांक 06.11.2009 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर दोनो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी का मुख्य कथन यह रहा कि माननीय न्यायालय आप द्वारा यह निर्णय पारित किया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त दोनो पक्षकार अपने हितों की रक्षार्थ पुनः कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहेंगे पत्रावली फैसल शुमार हो। प्रार्थी चाहे तो नए सिरे से नई निगरानी प्रस्तुत कर सकता है किन्तु निगरानी प्र. सं. 18/2008 को माननीय न्यायालय आप द्वारा अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमावें।	

	हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। उभय पक्ष इस बात से सहमत हैं कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन रिट का निस्तारण हो चुका है। हमने न्यायालय हाजा की पत्रावली निगरानी प्र. सं. 18/2008 में दिनांक 06.11.2009 को पारित निर्णय का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत उभय पक्षकार को अपने हितों की रक्षार्थ पुनः कार्यवाही के लिए स्वतंत्र रहने का आदेश पारित किया है जिससे स्पष्ट है कि मूल निगरानी प्र. सं. 18/2008 में प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारण कर पत्रावली फैसल की जा चुकी है। साथ ही प्र. सं. 18/2008 (नि.पं.) को लगभग 14 वर्षों के बाद पुनः नम्बर पर लिया जाना हम उचित नहीं मानते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो नए सिरे से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 18/2008 (नि.पं.) निर्णय दिनांक 06.11.09 को उक्त पत्रावली प्र. सं. 01/2012 (विविध प्रार्थना पत्र) उनवान नारायणलाल बनाम शम्भूलाल वगैरा निर्णय दिनांक 17.06.2022 के संलग्न की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	